2021/149

(84)

प्रा0प0 106 / 2021

न्यायालय विवाह पंजीयन अधिकारी (जिला कलक्टर), झुंझुनूं

दिनांकः– 1-7-21

क्रमांकः– पाठक / विवाह पंजीयन / 2021 / 1800-01

निमित्तः–

1 ताराचन्द सैनी पुत्र बनवारीलाल सैनी, उम्र 24 वर्ष, जाति माली, निवासी ग्राम बडागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)।

2 जमुना दास पत्नि श्री ताराचन्द सैनी पुत्री श्री अमर दास, उम्र 20 वर्ष, निवासी औजारी नं0 2, एस0डी0 गुवाहाटी, जिला कामरूप, मेट्रो (आसाम) 782403, हाल निवासी ससुराल बडागांव, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं (राजस्थान)।

विषयः– विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 के तहत विवाह पंजीयन बाबत।

प्रसंगः– आप द्वारा प्रस्तुत प्रा0प0 दिनांक 25.06.2021

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा दिनांक 25.04.2021 को विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 के तहत विवाह पंजीयन हेतु आवेदन किया गया था। आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे प्रार्थिया (वधु) जमुना दास द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड मे जन्मतिथि 01.01.2001 है। जन्मतिथि के आधार पर वर्तमान मे आवेदन के समय प्रार्थिया की उम्र 20 वर्ष 6 माह है। प्रार्थिया ने विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 15 मे आवेदन के समय 21 वर्ष की आयु पूर्ण नही की है। अतः आपका आवेदन स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है। पत्र सूचनार्थ प्रेषित है।

30/6/21

District Marriage Officer
(District Magistrate)
JHUNJHUNU (Raj.)
(INDIA)

जिला विवाह पंजीयन अधिकारी
(जिला कलक्टर), झुंझुनूं